फोन नं0–
05362–231209

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल, अमहट, सुलतानपुर

पत्रांक–उ0नि0(नि0)/सुल्ता0/2011– 824 दिनांक: 03-11-11

अल्पकालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित निर्माण कार्यो को कराये जाने हेतु मुहरबन्द निविदा वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा अनुभवी एवं मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनॉक 22.11.2011 को दिन में 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं मण्डी समिति बाराबंकी स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इच्छुक निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निविदा आमंत्रित करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय कार्य दिवस/अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के साथ–साथ बाराबंकी स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय, सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन), मण्डी परिषद फैजाबाद एवं भारतीय स्टेट बैंक, निकट बस स्टेशन, सुल्तानपुर से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय करते समय प्रार्थना पत्र के साथ जमानत धनराशि जो एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंक का), जो उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, सुल्तानपुर के नाम बन्धक होगी, जमा करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी। कार्यो का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	कार्य का नाम	निविदा विक्रय मूल्य	जमानत धनराशि (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
	मण्डी समिति सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत				
1	सम्पर्क मार्ग कन्धईपुर से बनपुरवा होते हुए भोलागंज एवं मोहम्मदपुर–सिद्धौर मार्ग तक का निर्माण कार्य पार्ट–1	1125.00	0.40	चार माह	'द' श्रेणी **(अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षित)**
2	सम्पर्क मार्ग कन्धईपुर से बनपुरवा होते हुए भोलागंज एवं मोहम्मदपुर–सिद्धौर मार्ग तक का निर्माण कार्य पार्ट–2	1125.00	2.34	चार माह	'द' श्रेणी

नोटः– 1– निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु निर्धारित प्रारूप पर स्टाम्प नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– शासनादेश संख्या 4435/छः–पु0–14–06–50(07)2006 दिनॉक 2.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र/रू0 100.00 (एक सौ मात्र) स्टैम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र (टी–4, टी–5 एवं टी–6) की छायाप्रति एवं आवश्यकता पड़ने पर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– परिषद पत्रॉक मु0अभि0/1168 भाग–4/2009–3123 दिनॉक 29.01.2009 के अनुपालन में अनुसूचित जाति/जनजाति के निविदादाताओं हेतु दो प्रतिशत की जमानत धनराशि टेण्डर के समय एवं आठ प्रतिशत की जमानत धनराशि चालू देयको से कटौती की जायेगी।

4– निविदा खोलने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।

5– एक या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। शेष नियम एवं शर्ते किसी भी कार्यालय कार्य दिवस/अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

(राम नरेश)
प्र0 उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद सुल्तानपुर